पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 24.07.2024

दिनांक 23/24.07.2024 को थाना गोमतीनगर 01, जानकीपुरम 01, सैरपुर 01, तालकटोरा 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

बी0एन0एस0

थाना पीजीआई- दिनांक 24.07.2024 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री विजय कुमार थापा पुत्र स्व0 धन बहादुर थापा सदर कैण्ट लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि दिनांक 23/07/2024 को समय करीब 10.30 बजे सुबह वादी का साला सोनू पुत्र स्व0 लालबहादुर निवासी डिफेंस कालोनी तेलीबाग जो कि दादा बिरयानी के सामने रोड क्रॉस कर रहा था कि उसी समय मो0सा0 सं0 यूपी32 एम जेड 9142 के अज्ञात चालक ने वाहन को तेजी से चलाते हुए वादी के साले सोनू उपरोक्त को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे सोनू उपरोक्त गिरकर बेहोश हो गया जिसे वहां मौजूद लोगों द्वारा इलाज हेतु ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां दौराने इलाज सोनू उम्र करीब 45 वर्ष की मृत्यु हो गई। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0- 509/2024 धारा 281/106(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।**

थाना बाजारखाला- दिनांक 24.07.2024 को थाना बाजारखाला द्वारा बताया गया कि वादी श्री किशोरी पुत्र स्व0 जगन्नाथ निवासी अम्बेडकर नगर तेल डिपो के पीछे ऐशबाग थाना बाजारखाला लखनऊ ने थाना बाजारखाला पर सूचना दिया कि वादी का डाला (छोटा हाथी) सं0 यूपी 32 डीएन 6649 जो कि भारतीय स्टेट बैंक ऐशबाग के सामने खड़ा था दिनांक 20.07.2024 की रात्रि लगभग 12.00 बजे गायब हो गया। वादी ने अपना डाला काफी तलाश किया पर वादी को अपना वाहन कहीं नहीं मिला। वादी के उक्त वाहन को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया हैं। **इस सूचना पर थाना बाजारखाला पर मु0अ0सं0- 148/2024 धारा 303 बी0एन0एस0 पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।**

थाना मदेयगंज- दिनांक 24.07.2024 को थाना मदेयगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुल्तान अशरफ सिद्दीकी निवासी- एच नं0 474ए/207बी ब्रह्मनगर थाना मदेयगंज लखनऊ ने थाना मदेयगंज को सूचना दिया कि वादी दिनांक 07.06.2024 को लखनऊ से अयोध्या के लिए अपनी कार हुंडई सं0 यूपी 32 पीआर 3197 में फास्ट टैग लगवाने के लिए अयोध्या हाईवे पर स्थित टोल टैक्स के पहले जनपद बाराबंकी में एक गुमटी पर रूका। उसने आईडीएफसी फर्स्ट का फास्ट टैग लगाया उक्त व्यक्ति ने फास्ट टैग को रिचार्ज करने के लिए फोन मांगा तो वादी ने उक्त व्यक्ति को अपना फोन दे दिया और 10 मिनट बाद फोन वादी को वापस कर दिया। वादी ने अपना आधार कार्ड नम्बर अपने फोन से उक्त व्यक्ति के मोबाईल पर वाट्सएप कर दिया। दिनांक 08.07.2024 को वादी के पेटीएम से 1रु054पैसे वादी की जानकारी के बिना निकल गये। तथा दिनांक 06.07.2024 से 16.07.2024 तक कुल 198332.54/-रु0 की निकासी वादी के पेटीएम से अनाधिकृत रूप से कर ली गयी। जिस की जानकारी वादी को दिनांक 16.07.2024 को हुई। **इस सूचना पर थाना मदेयगंज पर मु0अ0सं0- 108/2024 धारा- 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।**

थाना गाजीपुर- दिनांक 24.07.2024 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि कि श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 राजेश्वर सिंह निवासी विश्वेश्वरगंज जनपद गाजीपुर ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि उनका भतीजा प्रत्युस राज सिंह पुत्र श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह ने उनकी लाइसेंसी पिस्टल से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। उसका शव उसी अवस्था में कमरे में पड़ा है। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री मुन्ना कुमार सिंह मो0नं0- 7275102311 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक प्रत्युस राज सिंह उम्र करीब 18 वर्ष अपने चाचा सत्येन्द्र कुमार सिंह कुमार सिंह के पास किराये का मकान हरिहर नगर थाना गाजीपुर में रह रहा था। जहां आज दिनांक 24.07.2024 को सुबह अपने चाचा की लाइसेंसी पिस्टल से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। मृतक के पिता खेती करते है।